राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए–4 (1) लेखा/प्रतिबद्ध/2022–23/1852 दिनांक :– 8.3.23

समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जोन)
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सेटेलाईट हॉस्पीटल/
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय।
अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा।
विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, जयपुर।
प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर, जोधपुर,।
प्रधानाचार्य, प0क0 प्रशिक्षण केन्द्र हीराबाग जयपुर।
समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी क्षय निवारण केन्द्र/के.एन.टी.बी.डी.टी.सी. अजमेर।
संयुक्त निदेशक एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
राजकीय विश्लेषक, जयपुर।
मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर।

विषयः–**Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।**

संदर्भः–शासन सचिव वित्त,(बजट) के आदेश कमांक प.6(10) वित्त(नियम)/2021 पार्ट जयपुर दिनांक 01.03.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेश द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2021 तक के तथा दिनांक 01.10.2021 से 31.10.2021 की अवधि के चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण दावे भी अब सिर्फ आरजीएचएस के पुनर्भरण माड्यूल पर ही प्रस्तुत किये जा सकेगें। इस मॉड्यूल में दिनांक 01.10.2021 से 31.10.2021 की अवधि के उपरोक्तानुसार चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण दावे RGHS पुनर्भरण माड्यूल पर ऑनलाईन ही प्रस्तुत किये जायेगें।

1.चिकित्सा दावों के प्रस्तुत करने एवं निस्तारण की अवधि उक्त संदर्भित आदेशों में उल्लेखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार दिनांक 15.03.2023 तक बढाई गई है।

2.राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 18(1)(ट) एवं 15(5) की परिधि में आने वाले प्रकरणों को परियोजना निदेशक, आरजीएचएस द्वारा प्राचार्य, सवाई मानसिंह मेडकल कॉलेज, जयपुर को भिजवाया जाकर उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उस रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित पुनर्भरण राशि के अनुसार नियमानुसार प्रक्रिया से निस्तारण कराया जावें। राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के लागू होने से पूर्व के प्रकरणों में तत्समय प्रभावी नियमों के अनुसार ही चिकित्सा पुनर्भरण के दावों का निस्तारण कराया जायेगा।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत कालातीत क्लेमों को भी RGHS Portal पर इस शर्त के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा कि यदि क्लेम नियमों के अन्तर्गत कालातीत है तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति RGHS Portal पर कालातीत क्लेम के साथ संलग्न होना आवश्यक है।

संदर्भित आदेश पेंशनर्स की उपरोक्तानुसार चिकित्सा दावों के निस्तारण हेतु भी प्रभावी होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि बकाया चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण दावों की उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक (जन–स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए–4 (1) लेखा/प्रतिबद्ध/2022–23/1852 दिनांक : 8.3.2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी सर्वर, कृपया इस पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

निदेशक (जन–स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref No. : 3310840

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <directorph-rj@nic.in>.
Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :04-03-2023
11:58:21